उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-81/1591/एक-1-2015-5(9)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 30 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु वन विभाग की ली गयी भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण/अवस्थापना हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरजापुर	मड़िहान	सक्तेशगढ़	राजापुर	2मि./1	10.117	आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु वन विभाग की ली गयी भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण/ अवस्थापना हेतु भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने हेतु।
2					140मि.	23.776	
3					4मि./अ	10.079	
4					174मि.	9.978	
5					137मि.	5.280	
6					204मि.	11.270	
				योग	**कुल 06 गाटा**	**70.500 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

--2-

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1591(1)/एक-1-2015-5(9)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मिर्जापुर को उनके पत्र संख्या-1168/जि0भू0व्य0लि0/पत्रा सं0-34/पुनर्ग्रहण/2015.06.03, दिनाँक 22.09.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनाँक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा उक्तानुसार वाँछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा।

3. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1591(2)/एक-1-2015-5(9)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर ।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in